

“उपर्युक्त नियमों के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण।”

आप विवरण देख लीजिये। यह विवरण संतोषजनक नहीं है। हमारा हिन्दी का काम अंग्रेजी के साथ साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर श्री यादव भी इसको नहीं करा सकते तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हट जाना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव : काम हो गया है रख दिया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक क्यों नहीं कर लिया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह वह कहते कि नहीं रखेंगे तो झगड़ा होता। यह तो यह कहते ही नहीं हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी : कह सकते ही नहीं हैं। उन्हें हिन्दी अंग्रेजी साथ साथ रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आगे से तो पहले आना शुरू हो जाएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी : कारणों को पढ़िये। देर क्यों लगी।

अध्यक्ष महोदय : कारण भी देख लूंगा और इनको डाइरेक्शन भी दे दूंगा।

श्री हनुमन्त चन्द कलश्राव (मुरैना) : अंग्रेजी के बारे में कभी ऐसा नहीं होता है तो हिन्दी के बारे में क्यों होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या पता था कि आपको आ जाना है।

12.22 hrs.

ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition

and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc. in relation to its undertakings in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc. in relation to its undertaking in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto”.

There is the name of only one Member to oppose it. Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (वांका) : अध्यक्ष महोदय इन विधेयक के केवल एक अंश का मैं विरोध करना चाहता हूं। एक अंश में मैं पेट्रोलियम मंत्री को लिख रहा हूं। जब से इनकी एसो के साथ वान-चीन शुरू हुई 74 परसेंट इंटेरेस्ट लेन के बारे में एसो कम्पनी ने गुप्त ढंग से उसकी जो ज़ायदाद बम्बई में है उसके जो पेट्रोल पम्प हैं उनको बेचने का काम चालू किया है। तीन मामले मैंने पेट्रोलियम मंत्री के सामने रखे थे। उसके पेट्रोल पम्प ग्रांट रोड, नेपियन सी रोड और डिवाइड रोड पर हैं। एक-एक पम्प को बीन-बीम लाख रुपये में बेचने का काम इसने शुरू किया है। एक पेट्रोल पम्प तो यह बेच भी चुकी है। मंत्री महोदय ने अपने पत्र में मुझे यह आश्वासन दिया था :

“As you will have observed from the newspaper reports, we have already reached an agreement in principle with Esso to acquire 74 per cent equity in their operations and they have assured us that they would not make any dis-investment”.

[श्री मधु लिमये]

इस अध्यासन के बावजूद एक पेट्रोल पम्प बेचने का काम उसने पूरा कर लिया है और दो पेट्रोल पम्प वे लोग बेचने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? इसकी जानकारी पहले सदन को मिलनी चाहिये। वर्ना एक कम्पनी के बारे में जो बम्बई की कम्पनी थी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हम लोगों को बीच में पटना पड़ा था और यहाँ भी वैसा ही हो सकता है। विदेशी कम्पनियाँ अक्सर ये सारे काम करती हैं। मैं माँग करना हूँ कि विधेयक को पेश करने की स्वीकृति देने के पहले इन बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री शाहनावाज़ ख़ाँ जिम दिन से यह एग्जिमेन्ट अधल में आया उस दिन के बाद इसका कुछ करने की इजाजत नहीं होगी। जब तक यह अधल में नहीं आता है और उसके पहले वह क्या करती है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये एक घंटे से इनकी बातचीत चल रही है। बरखा माहब का पत्र मैंने आपका पढ़ कर मुनाया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि डिमिशनवेस्ट करने की इजाजत इनका नहीं मिलेगी। क्या यह सही नहीं है कि एक पेट्रोल पम्प वह बेच चुकी है और दो बेचने जा रही है? कम से कम जो बेचने जा रही है उस मामले को तो आप स्थागित करवाइये। ये कभी नैयाम नहीं रहते हैं। इनका महत्वपूर्ण विधेयक है और कैबिनेट मिनिस्टर कहा है?

MR. SPEAKER. You may take up these matters at the time the Bill on nationalisation is taken up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour). On the assets and value of these foreign oil companies as far as India is concerned, he has given a very clear picture. Now they are going to give them salaam—(Interruptions) The Minister can give us some information.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Madhu Limaye has raised a pertinent question, and the Minister should answer that question.

They are selling this firm.

MR. SPEAKER: All this can be raised at the time of consideration.

श्री मधु लिमये आज ही इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये। एक घंटे के बाद स्पष्टीकरण दे तो उसने बाद इसका पेश करने की इनका इजाजत मिलनी चाहिये। हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो जाए लेकिन यह तरीका नहीं है।

MR. SPEAKER I will now put this motion before the House.

श्री मधु लिमये आपका निगय क्या है?

अध्यक्ष महोदय हर बान पर क्या निगय द और कितने निगय द?

श्री मधु लिमये पार्लियामेंट का मसौदा बना दिया है इन लोगों ने।

MR. SPEAKER The question is

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc., in relation to its undertakings in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN. Sir, I introduce the Bill

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, a very serious development has taken place in an Assembly constituency in Bengal (Interruptions).

MR. SPEAKER. Kindly do not mention matters which I have not allowed. He should not mention it without getting my permission. Today I have allowed only one submission under rule 377.

"Introduced with the recommendation of the President.

If there is anything wrong with the election, they can go to the Election Commissioner. On the other hand, if it is a question of law and order, it is a State subject and it cannot be raised here. Members cannot fight the elections in this House. If they want to refer to any point, they will get an opportunity today during the discussion on the Motion of Thanks to the President.

Today I have allowed only Shri Madhu Limaye to speak under rule 377. I am not permitting anybody else to raise any point now. They cannot raise any point of order because there is nothing before the House.

Now, Shri Madhu Limaye

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (स्वाभियर) अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान एक प्रेम रिपार्ट की ओर खीचना चाहता हूँ। यह बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा है कि गाईडाटा चुनाव-क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने पांच पोलिंग बूथ पर मतगणना रोक दी है। गणना तब तक नहीं होगी जब तक चुनाव आयोग से निर्देश नहीं मिलेगा.....

MR SPEAKER. You have quoted the electoral officer's report. I can send that to the Law Minister. You can get factual information as may be ascertained from the electoral officer's office. So far as the other matters are concerned, they cannot be our subject.

I am not permitting any one on this issue. This House cannot decide which election is good or which election is bad. It is for the Election Commissioner to decide.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour). As a protest, we walk out.

Shri Jyotirmoy Bosu and some other members then left the House

MR. SPEAKER: I will tell you, in one of the elections where I was concerned some people lifted the ballot boxes and ran away. I followed the procedure of going to the Election Commissioner. I did not go to Parliament or the Legislative

Assembly. There are procedures laid down for it. It was in 1962 that it happened. They ran away with the ballot boxes. They were later on dealt with. But I followed the procedure.

Shri Madhu Limaye.

12.40 Hrs.

MATTER UNDER RULE 377

LIVY IMPOSED BY INDIAN COTTON
TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL
ON COTTON YARN, ETC.

श्री मधु लिमये (बाका) अध्यक्ष महोदय, यह कर सम्बन्धी मामला है और मुझे इस बात पर अफसोस है कि सचार् मंत्री और व्यापार मंत्री या तो सविधान की जानकारी नहीं रखते हैं या जानकारी कर सविधान की धाराओं का उल्लंघन होने दे रहे हैं। सविधान की 265 धारा में साफ शब्दों में लिखा है कि—

"No tax shall be levied or collected except by authority of law"

बिना कानून पास किए कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकती। लेकिन आपका ध्यान मैं दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें बिल्कुल साफ होगा कि सविधान की इस धारा का उल्लंघन सरकार करती जा रही है।

टेलीफोन विभाग का जहाँ तक सवाल है जो सचार् सचालय के मातहत आता है उसमें टेलीफोन के लिए जो नई अजिया दी जाती है उनके ऊपर दस रुपये की लेवी लगा रखी है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है और मेरी राय में सविधान की 265 धारा का यह स्पष्ट उल्लंघन है।

बिना कानून बनाए न सरकार कोई टैक्स वसूल सकती है न लोगों की अनुमति दे सकती है। तो टेलीफोन विभाग के द्वारा 265 धारा का जो उल्लंघन किया गया है उसके बारे में खुलासा आना चाहिए और मंत्री महोदय ने अगर पार्लियामेंट के अधिकारों के ऊपर आक्रमण किया है तो यह मामला पार्लियामेंट की या तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी या प्रिविलेज कमेटी के सामने जाना चाहिए।